तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/11	बमुबाब कोरोना P.O बाहर Covid-19 पत्रावली दिनांक 2/12/21 को पेश हो।	
2/12/21	पत्रावली PJ KS/ कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पक्षकारान........ .... संक्रमण .... नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अत पत्रावली दिनांक 13/1/22 को न्यायालय हाजा में पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
13/1/22	वकील प्रार्थी .... उपस्थित। .... आदेश दिनांक .... 23/12/21 .... पत्रावली वास्ते .... बहस T.I. दिनांक 15/2/22 .... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
15/2/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन करने पर प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन एवं न पूर्ति होने वाली क्षति तीनों बिन्दु सायल के पक्ष में साबित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 539 वाके ग्राम कुठवा, तहसील कठूमर में सायल के कब्जे काश्त में किसी तरह की रुकावट व मजाहमत पैदा ना करे जबरन बेदखल कर खुद कब्जा ना करे। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 15.10.2019 कन्फर्म किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली को मय शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर बाद तकमील रिकॉर्ड के साथ .... से सुनाया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02 / 179 / 2021

वउनवान

1. किशनगोपाल पुत्र श्री मनोहरी जाति जाटव निवासी सालिमपुर तहसील महवा जिला दौसा।

------ सायल

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र श्रीया जाति जाटव निवासी अर्रूवा
2. चेती पुत्र श्रीया जाति जाटव निवासी अर्रूवा
3. रामेश्वर पुत्र प्रहलाद जाति जाटव निवासी अर्रूवा
4. कारे पुत्र प्रहलाद जाति जाटव निवासी अर्रूवा
5. राहुल पुत्र प्रहलाद जाति जाटव निवासी अर्रूवा
6. शकुन्तला पत्नी प्रहलाद जाति जाटव निवासी अर्रूवा
7. रामकुंवर पुत्र चेती जाति जाटव निवासी अर्रूवा
8. कुन्नी पुत्र चेती जाति जाटव निवासी अर्रूवा

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान का तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

श्री रामजीलाल शर्मा'- अधिवक्ता सायल की ओर से

आदेश

दिनांक 15.02.2022

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 रांजस्थान कांश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 539 रकवा 0.58 हे. ग्राम अर्रूवा तहसील कठूमर में स्थित है जो आराजी सायल एंव तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता मनोहरी की खातेदारी में दर्ज है। मनोहरी का अर्सा करीब 12 साल पूर्व स्वर्गवाास हो चुका है। मृतक खातेदार मनोहरी के वारिस सायल

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

एंव तरतीवी प्रतिवादीगण ही है। खातेदार मनोहरी की पुत्री कृष्णा भी फौत हो चुकी है जिसके वारिस तरतीवी पतिवादी संख्या 15–16 है। मनोहरी के फौत हो जाने पर विवादित आराजी सायल एंव तरतीवी प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है जिस पर सायल एंव तरतीवी प्रतिवादीगण काविज रहकर का त करते चले आ रहे है तथा मौके पर कबजे का त में है। गैरसायलान का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। दिनांक 11.10.2019 को जब सायल विवादित आराजी को जुताने वुवाने गया तो सभी गैरसायलान लाठी डण्डा ले आये तथा सायल एंव तरतीवी प्रतिवादीगण को खेत जोतने बोने नहीं दिया तथा झगडा किया मारपीट को तैयार होगये और कहा कि हम तुम्हें विवादित आराजी को जोतने बोने नहीं देगें खेत पर आया तो हाथ पैर तोड देगे। हमें खेत से भगा दिया। जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल एंव तरतीवी प्रतिवादीगण तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे उन्हेंअपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायलान दिनांक 23.02.2021 को वावजूद रजिस्टर्ड एडी तामील हाजिर नहीं आये उनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सायलने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सत्यप्रतिलिपी नकल जंमाबन्दी संवत् 2076 से 2079वाके ग्राम अर्रूवाकी सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिवक्ता सायल की एकपक्षिय वहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है। हमने पत्रावली के तथ्यों सायलद्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता सायल की वहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

संलग्न जमाबन्दी में विवादित आराजी मनोहरी पुत्र काडया की खातेदारी में दर्ज है। विद्वान अधिवक्ता सायल के कथनानुसार मनोहरी का स्वर्गवास हो चुका है। सायल एंव तरतीवी प्रतिवादीगण ही मृतक खातेदार मनोहरी के वारिस काविज जायदाद है। गैरसायलान बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये। यह सही है कि विवादित आराजी से गैरसायलान का किसी तरह का वास्ता नहीं है। यदि गैरसायलान ने सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण को विवादित आराजी पर काश्त नहीं करने दी या इन्हें जवरन वेदखल कर दिया तो अपार हानि व क्षति सायल एंव तरतीवी प्रतिवादीगण को होना संभव है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान होता हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता सायल की एकपक्षिय वहस पर मनन करने पर प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सावित है। अतः प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 539 वाके ग्राम अरूंवा तहसील कठूमर में सायल के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 15.10.2019 कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

रामकिशोर मीणा
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 15.02.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीणा
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)